



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 29.11.2024

थाना झिंझाना पुलिस के द्वारा जनपद शामली में वांछित/एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत 24 घंटे की समय अवधि में 28 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त किये गिरफ्तार:-

दिनांक 28/29.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 28 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. इनाम पुत्र मकसुद निवासी ग्राम तिसग थाना झिंझाना जनपद शामली।
2. राशिद पुत्र रुकमदीन निवासी ग्राम तिसग थाना झिंझाना जनपद शामली।
3. सुनील पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम बीबीपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
4. नासिर पुत्र साजिद निवासी ग्राम रोटन थाना झिंझाना जनपद शामली।
5. सादा उर्फ साजिद पुत्र बदलू निवासी ग्राम रोटन थाना झिंझाना जनपद शामली।
6. अशफाक पुत्र सुल्तान निवासी ग्राम अजीजपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
7. जितेन्द्र पुत्र खिलारी निवासी ग्राम हरिनगर थाना झिंझाना जनपद शामली।
8. रामपाल पुत्र मगलु निवासी ग्राम जमालपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
9. दर्शन लाल पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम पिलाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
10. मुस्तकीम पुत्र बसीर निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।
11. सुभाष पुत्र इन्द्र निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।
12. पवन पुत्र इन्द्र निवासी ग्राम टपराना थाना झिंझाना जनपद शामली।
13. रवि पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम अलाऊदीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
14. इतवारी पुत्र काला निवासी ग्राम अलाऊदीनपुर थाना झिंझाना जनपद शामली।
15. धर्मवीर पुत्र प्रताप निवासी ग्राम सींगरा थाना झिंझाना जनपद शामली।
16. राजकुमार पुत्र कलीराम बावरिया निवासी खानपुर कला थाना झिंझाना जनपद शामली।
17. प्रमोद पुत्र रायसिंह निवासी डेरा खजुरवाला थाना झिंझाना जनपद शामली।

- 18.टिल्लू पुत्र जहूर निवासी ग्राम उदपुर थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 19.लिल्लू पुत्र ढोलू निवासी ग्राम ऊदपुर थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 20.प्रवीण कुमार उर्फ मिन्टू पुत्र रामपाल निवासी ग्राम सकौती थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 21.अंकित पुत्र सोराज निवासी ग्राम शामिल शामिल थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 22.राजकुमार पुत्र नकली निवासी ग्राम भोगी माजरा थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 23.नन्हा पुत्र समय सिंह निवासी हसनपुर थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 24.सतीश पुत्र बलवन्त निवासी हथछौया थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 25.अनिल कुमार पुत्र राघवराम निवासी मौहल्ला आर्यपुर थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 26.मासूम पुत्र मौ0अली निवासी बंसीचुन्धहारी थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 27.इन्तियाज पुत्र मौहम्मद अली निवासी बंसीचुन्धहारी थाना झिंझाना जनपद शामिल ।
- 28.चाहत मिया पुत्र मुबारिक मौहम्मद अली निवासी बंसीचुन्धहारी थाना झिंझाना जनपद शामिल ।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, दोनो के कब्जे से 20-20 पच्चे तोहफा मार्का करीब 08 लीटर अवैध शराब बरामद:-

दिनांक 28.11.2024 की रात्रि में पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 20-20 पच्चे तोहफा मार्का करीब 08 लीटर अवैध शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.सादिक पुत्र कल्लू निवासी मौहल्ला पंसारियान थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

2.सद्दाम पुत्र नसीम निवासी ग्राम खेडीकरमू थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.दोनो से 20-20 पच्चे तोहफा मार्का करीब 08 लीटर अवैध शराब



उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में 02 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई कारावास की सजा एवं 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया:-

वर्ष 1994 में अभियुक्तगण 1.शमशेर पुत्र नूरा निवासी भड़ी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली
2. अख्तर पुत्र श्री मुंशी निवासी भड़ी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली के विरुद्ध थाना झिंझाना पर मु0अ0सं0 51/1994 धारा 147/379/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इसी क्रम में आज दिनांक 29.11.2024 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी कैराना, शामली द्वारा अभियुक्तगण को उपरोक्त को उपरोक्त धाराओं में जेल में बितायी गयी अवधि व धारा 147 भादवि में 100/- रुपये, धारा 323 भादवि में 100 रुपये, धारा 379 भादवि में 500 रुपये, धारा 504 भादवि में 100 रुपये व धारा 506 भादवि में 200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है ।

नाम व पता अभियुक्तगण:-

- 1.शमशेर पुत्र नूरा निवासी भड़ी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली ।
- 2.अख्तर पुत्र श्री मुंशी निवासी भड़ी मुस्तफाबाद थाना झिंझाना जनपद शामली ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI